



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

**Uttarakhand Power Corporation Ltd.**

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक: 271

—अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-IV/ संविदा

दिनांक : 20/01/2026

## कार्यालय—ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में कारपोरेट कार्यालय/क्षेत्र/मण्डल/खण्ड/परीक्षण खण्ड एवं अन्य विविध कार्यालयों में संविदा/आउटसोर्स के आधार पर उपनल/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्याजित कर्मियों के कार्याजित की अवधि सम्बन्धित कार्यालयों की संलग्न सूची के अनुसार, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-111(1)/XXX(2)/2018-30(12)2018 दिनांक 27.04.2018 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-379/XXX(2)/2018/30(12)/2018 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार व प्रस्तर-12 (03)(ख) में दी गयी अवधि के अनुसार दिनांक 01-01-2026 से 31-12-2026 तक संविदा/आउटसोर्स के आधार पर विस्तारित/कार्याजित करने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- उपनल/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्याजित कर्मियों के विभागीय कार्य-दायित्व निर्वहन में उदासीनता, शिथिलता, अनुशासनहीनता तथा उपभोक्ताओं से शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में जांच में दोषी पाये जाने पर उसे तत्काल सेवा से हटा दिया जायेगा तथा हटाये हुये उपनल कर्मियों को उनके नियोक्ता उपनल कार्यालय को तथा स्वयं सहायता समूह कर्मियों को उनके समिति के सचिव को लौटाये जाने के बाद प्रतिस्थानी रखे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 2- उपनल/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्याजित संविदा/आउटसोर्स कर्मियों का पद रिक्त होने (अधिवर्षता आयु/मृत्यु/कार्य छोड़ने/हटाने) की स्थिति में सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह कार्यालय आदेश सं०-2893-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/का०अनु० /संविदा दिनांक 12-10-2020 एवं कार्यालय आदेश सं०-2133-निदे०(मा०सं०) /उपाकालि दिनांक 01-03-2017 में निहित प्राविधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे एवं उपनल/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्याजित संविदा/आउटसोर्स कार्मिक का उक्त कारणों से पद रिक्त होने की स्थिति में आवश्यकता होने पर उनके स्थान पर प्रतिस्थानी 01 माह के भीतर रखना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा 01 माह के पश्चात वह पद स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा रखे गये प्रतिस्थानी की पूर्ण सूचना भी 01 माह के भीतर ही संलग्न निर्धारित प्रारूप पर भरकर, अधिशासी निदेशक (मा०सं०), कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

उपनल के माध्यम से कार्याजित संविदा/आउटसोर्स कर्मियों का पद रिक्त होने (अधिवर्षता आयु/मृत्यु/कार्य छोड़ने/हटाने) की स्थिति में सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह कारपोरेशन के पत्रांक 3800/निदेशक (मा०सं०)/उपाकालि/अनु०-एच(संविदा) दिनांक 16-11-2021 एवं कारपोरेशन के पत्रांक 452-निदे०(मा०सं०) /उ०पा०का०लि० दिनांक 26.05.2015 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-595/XVII-5/16/09(17)/2004 दिनांक 09 जून, 2016 द्वारा शासनादेश संख्या 323/XVII-3/13-09(17)2004 दिनांक 12-06-2013 के सन्दर्भ में यह संशोधन किया गया था कि “शासकीय विभागों/प्रतिष्ठानों/संस्थानों/निगमों/स्थानीय निकायों एवं स्वात्तशासी संस्थानों आदि में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से भविष्य में केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही, 10 वर्ष की अवधि तक प्रायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया था, तथा जिसका प्रभाव उपनल द्वारा पूर्व में प्रायोजित कर्मियों पर नहीं पड़ेगा।” अतः उपनल के माध्यम से प्रतिस्थानी लिये जाने पर शासनादेश संख्या-595/XVII-5/16/09(17)/2004 दिनांक 09 जून, 2016 का अनुपालन करना भी सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः .....(2)

- 3- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उपनल/स्वयं सहायता समूह के संविदा/आउटसोर्स कर्मी की कार्योजन/समय विस्तार के अनुबन्ध में वर्तमान शर्तों/प्राविधानों के साथ-साथ उपरोक्त बिन्दु संख्या-01 एवं 02 में वर्णित प्राविधानों को भी सम्मिलित करना सुनिश्चित करेंगे।
- 4- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वे आगामी समय-विस्तार सम्बन्धी प्रपत्र सभी साक्ष्यों के साथ निर्धारित प्रारूप पर उचित माध्यम द्वारा विलम्बत: दि 15-10-2026 तक अधिशासी निदेशक (मा0सं0), उ0पा0का0लि0, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- 5- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम-1952 एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम अधिनियम-1948 में निहित प्राविधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्बन्धित क्षेत्र के उपमहाप्रबन्धक (वित्त) एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रत्येक माह उपरोक्त का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 6- सम्बन्धित नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित लेखाकार का दायित्व होगा कि वे वेतन भुगतान करने से पूर्व उपनल/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्योजित कर्मियों के नाम एवं निर्धारित संख्या की जाँच उनके कार्यालय हेतु स्वीकृत/निर्धारित अनुलग्नक (जो कि सम्बन्धित कार्यालयों की विभागीय ई-मेल आई0डी0 में प्रेषित किया जायेगा) के अनुसार करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा किसी भी त्रुटि के लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।
- 7- उपनल एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्योजित कर्मियों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कारपोरेशन पत्रांक-3996/निदेशक (मा0सं0)/उपाकालि/संविदा दिनांक 15-12-2018, पत्रांक 1051-निदे0(मा0सं0)/उमप्र(औ.स.का.प्र.)/उपाकालि दिनांक 28-01-2017 एवं पत्रांक 3541-अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि(S-IV)/ संविदा दिनांक 04-10-2023 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त आदेश दिनांक 01-01-2026 से प्रवृत्त होंगे।


संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- 271 -अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-IV/ संविदा /तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर- I, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (वित्त/परिचालन/परियोजना), उपाकालि, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर (I/II), उपाकालि, .....
4. समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि, .....
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), .....
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, .....
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, .....
8. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

  
(डॉ0 आर0 जी0 मलिक)  
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

प्रतिस्थानी की सूचना हेतु प्रारूप (उपनाल के माध्यम से)  
रखे गये प्रतिस्थानी कर्मी की सूचना

Name of Agency: UPNL

Name of Office/Unit:  
Phone No. Of Office:  
E-mail ID of Office:

S. NO.	Name of Contractual Personnel	Father/ Husband Name	Designation	Category (Gen./SC/ST/ OBC)	Date of Birth	Ex- Serviceman/ Dependent of Ex- Serviceman/ Civilian	Educational Qualification		Present Posting (Name of Office)	Date of First Appointment	First Appointment Approval Order No.	Permanent Address of Personnel	Mobile No. of Personnel	Chief Engg. Office Approval Order No. & Date
							Academic	Technical						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

All above mentioned informations are checked by me and its true.

Date:

Prepared by  
Name:  
Designation:  
Name of Office:  
Signature:

Authorized Signature:  
Name:  
Designation:  
Address of Office with Seal

प्रतिस्थानी की सूचना हेतु प्राकृष (स्वयं सहायता समूह के माध्यम से)  
रखे गये प्रतिस्थानी कर्मी की सूचना

Name of Agency : SHG

Name of Group/Samiti: .....  
Name of Secretary & Mobile No.....  
Registered Office Address:.....

Name of Office/Unit:  
Phone No. Of Office:  
E-mail ID of Office:

S. NO.	Name of Contractual Personnel	Father/Husband Name	Designation	Category (Gen./SC/ST/OBC)	Date of Birth	Educational Qualification		Present Posting (Name of Office)	Date of First Appointment	First Appointment Approval Order No.	Permanent Address of Personnel	Mobile No. of Personnel	Chief Engg. Office Approval Order No. & Date
						Academic	Technical						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

All above mentioned informations are checked by me and its true.

Date:

Prepared by  
Name:  
Designation:  
Name of Office:  
Signature:

Authorized Signature:  
Name:  
Designation:  
Address of Office with Seal